न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्या: 150/2014 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2014/00202**

नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्ण कुमार
2. नरेश कुमार
3. अरूण कुमार
4. रामगोपाल

पिसरान सोम प्रकाश जाति अग्रवाल साकिन 132 पी ब्लॉक श्रीगंगानगर।

5. पुष्पा देवी बेवा सोम प्रकाश अग्रवाल साकिन 132 पी ब्लॉक श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट
श्री सुशील कुमार – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 31.08.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.12.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– चक 5–ई छोटी की भूमि के मुरब्बा नंबर 44 के किला नंबर 4, 5, 6, 15, 16 एवं 25 का 1/2 भूमि क्रमशः रेस्पोडेन्ट्स के नाम से निरस्त होकर अपीलांट के नाम दर्ज हो गया है। उक्त भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज थी, जिसे बाद में तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.03.2006 के द्वारा अपीलांट के नाम दर्ज कर दी। जबकि रेस्पोडेन्ट्स उक्त रकबा पर साधिकार काबिज चले आ रहे है। इसी भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट नगर विकास न्यास एवं राज्य सरकार के विरूद्ध अनवानी कृष्ण कुमार वगैरह बनाम स्टेट वगैरह रिट याचिका संख्या 1195/2006 में प्रस्तुत की थी। उक्त रिट में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को विवादित भूमि से बेदखल न करने के स्थगन आदेश दिनांक 02.03.2006 पारित किये। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के बावजूद तहसीलदार श्रीगंगानगर ने उक्त विवादित भूमि का इन्तकाल अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट्स की प्रस्तुत उक्त अपील को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.), श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया जाकर इन्तकाल संख्या 359 दिनांक 04.03.2006 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर ने इस न्यायालय के समक्ष एल.आर.एक्ट की धारा–76 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि चक 5–ई छोटी की भूमि के मुरब्बा नंबर 44 के किला नंबर 4, 5, 6, 15, 16 एवं 25 का 1/2 भूमि क्रमशः रेस्पोडेन्ट्स के नाम से निरस्त होकर अपीलांट के नाम दर्ज हो गया है। उक्त भूमि तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.03.2006 के द्वारा अपीलांट के नाम दर्ज हो गयी। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.03.2006 के विरूद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2006 द्वारा इन्तकाल संख्या 359 दिनांक 04.03.2006 को निरस्त कर दिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर में चल रही अपील अनवानी कृष्ण कुमार वगैरह बनाम नगर विकास न्याय श्रीगंगानगर अपील संख्या 78/2006 का पृथक से कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर के समक्ष पेश अपील मियाद बाहर थी। सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर निर्णय होना था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। इस संदर्भ में RRD 1991 पृष्ठ संख्या 164, RRD 1999 पृष्ठ संख्या 98 एवं RRD 1984 पृष्ठ संख्या 844 प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

3– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अवगत कराया कि विवादित रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 एवं उनके सह खातेदारान के नामों से राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा एवं उनके ही कब्जा काश्त में चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोंधपुर के समक्ष की गई रिट याचिका में दिनांक 02.03.2006 में यह आदेश दिया गया कि रेस्पोडेन्ट्स को विवादित भूमि से बेदखल नहीं किया जावें। आदेश दिनांक 02.03.2006 की प्रति अपीलांट को दिये जाने के उपरान्त तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने बिना सुनवाई का अवसर दिये इकतरफा तौर पर अपीलांट क नाम से इन्तकाल स्वीकृत कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि चक 5–ई छोटी के मुरब्बा नंबर 44 के किला नंबर 4, 5, 6, 15, 16 एवं 25 में स्थित कृषि भूमि है। उक्त विवादित भूमि का पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के नाम इन्तकाल दर्ज था जो कि तहसीलदार,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

श्रीगंगानगर के आदेश से इन्तकाल संख्या 359 दिनांक 04.03.2006 अपीलांट के नाम दर्ज हो गया। उक्त विवादित भूमि के संदर्भ में रेस्पोन्डेन्टस द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत रिट याचिका में स्थगन जारी करते हुए बेदखल न करने का आदेश दिनांक 02.03.2006 को पारित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने दिनांक 04.03.2006 को उक्त विवादित भूमि का इन्तकाल अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया, जिसके विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत अपील को दिनांक 13.12.2006 स्वीकार करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.03.2006 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

5— उपरोक्त विवेचना के मद्देनजर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि दोनों पक्षों को पुनः सुना जाकर विधि सम्मत आदेश पारित होना चाहिए। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि तहसीलदार, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.03.2006 एवं आपके न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2006 की जांच एवं आपत्ति के संबंध में विधिक परीक्षण करें एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट याचिका संख्या 1195 / 2006 में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

6— निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर